रजिस्टर्ड/ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकुला।

सेवा में

1. समस्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
हरियाणा राज्य।

2. निदेशक स्कूल शिक्षा,
चण्डीगढ़ प्रशासन,
एडिशनल डिलक्स भवन, सैक्टर–9,
यू0टी0 चण्डीगढ़।

3. सचिव,
भाखडा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड
सैक्टर–19 बी0, मध्य मार्ग,
चण्डीगढ़।

4. जिला शिक्षा अधिकारी,
सैक्टर–19 बी0, यू0टी0
चण्डीगढ़।

यादी कमांक 15/09-2023 ESHM (2)
दिनांक, पंचकुला 04–07–2025

विषयः– **मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों की अनुमानित वरिष्ठता सूचि दिनांक 01.07.2025 के डाटा को सत्यापित करने बारे व आपत्तियों बारे।**

–0–

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में निदेशालय स्तर पर राज्य के मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों की अनुमानित वरिष्ठता सूचि दिनांक 01.07.2025 अनुसार तैयार की गई है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने जिला से संबंधित सभी मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों के सम्बन्ध में उक्त वरिष्ठता सूचि में अंकित किया गया डाटा रिकार्ड के आधार पर सत्यापित करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त वरिष्ठता सूची में आपके जिला के किसी मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक का डाटा गलत पाया जाता है तो उस अवस्था में उस अध्यापक का डाटा दुरूस्त करते हुए उसके नाम के सामने अंकित कॉलम में डालना सुनिश्चित करें इसके साथ ही दुरूस्त किए गए डाटा के सम्बन्ध में सत्यापित प्रमाण भी संलग्न करें। इसके अतिरिक्त यदि आपके जिला से संबंधित किसी मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक का नाम उक्त वरिष्ठता सूचि में दर्ज नहीं किया गया है तो उसके संबंध में भी निदेशालय को उस अध्यापक का पूर्ण डाटा अंकित करते हुए प्रमाण सहित भेजना सुनिश्चित करें ताकि उसके नाम का भी उक्त वरिष्ठता सूचि में इन्द्राज किया जा सके।

इसके अतिरिक्त आप अपने जिला में प्रचार के माध्यम से आपके जिला के सभी मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों से उक्त वरिष्ठता सूचि के सम्बन्ध में एतराज यदि कोई हो, मांगे व अध्यापक द्वारा दर्ज करवाए

गए एतराज के संबंध में सूचना पूर्ण तथ्यो/प्रमाण सहित आपके कार्यालय की स्पष्ट टिप्पणी सहित निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यवाही 15 दिन के अन्दर–2 हर अवस्था में सम्पन्न करना सुनिश्चित करें। दिनांक 21–07–2025 उपरान्त निदेशालय द्वारा किसी भी प्रकार के एतराज के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जाऐगी व अन्तिम वरिष्ठता सूचि जारी कर दी जाऐगी। आप कृपया अपने जिला से संबंधित सकंलित सूचना विभाग की ई–मेल eshmelementary@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें तथा मूल दस्तावेज डाक के माध्यम से निदेशालय में तुरन्त उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यवाही को परम अग्रता प्रदान करें और अपने जिला से संबंधित कार्यवाही दिनांक 21–07–2025 तक हर अवस्था में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें । इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

नोट– (1) **वरिष्ठता सूचि के संबंध में मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक का कोई भी एतराज संबंधित जि0मौ0शि0अ0 के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा व यदि दिनांक 21–07–2025 तक किसी मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक** से **कोई एतराज प्राप्त नही होता है तो यह मान लिया जाएगा कि दिनांक 01–07–2025 की अनुमानित वरिष्ठता सूची के संबंध कोई आपत्ति नही है तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01–07–2025 जारी कर दी जाएगी।**

(2) **उक्त वरिष्ठता सूचि दिनांक 01–07–2025 को आपकी सुविधा हेतु जिलावार भी अंकित कर दिया गया है जो कि उक्त वरिष्ठता सूचि के साथ ही विभागीय वैब साईट पर अपलोड कर दी गई है।**

अधीक्षक, ई0एस0एच0एम0
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक–सम   दिनांक, पंचकूला 04–07–2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजि सचिव/माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।

2 निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा।

3 निजि सहायक/महानिदेशक मौलिक शिक्षा ।

4 निजि सहायक/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–II

5 राज्य के समस्त खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी ।

6 संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक/मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को भेजते हुए निर्देश दिए जाते है कि उनके विद्यालय से संबंधित सूचना तुरन्त तीन दिन के अन्दर–2 संबंधित खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

7 संयुक्त निदेशक, आई0टी0 सैल को मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों की दिनांक 01–07–2025 की अनुमानित वरिष्ठता सूचि व जिलावार अनुमानित वरिष्ठता सूचि दिनांक 01–07–2025 भेजकर अनुरोध है कि उक्त वरिष्ठता सूचियां विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।

अधीक्षक, ई0एस0एच0एम0
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।